

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

भीम  
जी-३ सलमान रेजीडेंसी एरिया, रिपोर्ट साइन्स फाउंडेशन सी-सीएम, जयपुर।  
Telex : 0141-2222103/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : [www.lsg.urban.rajasthan.gov.in](http://www.lsg.urban.rajasthan.gov.in)  
क्रमांक : एफ. 56 (क)०सीई/डीएलवी/IRGY(U)/2022-23/ 89879-884 दिनांक : 12/10/2022

आयुक्त/अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समर्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत रांचिदाकार्मिकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व वाचत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नवगियुक्त कणिक तकनीकी राहायक, लेखा सहायक, रटेट एमआईएस/एमआईएस मैनेजर एवं शहरी रोजगार सहायक के द्वारा किये जाने वाले कार्य रांचिधी विवरण परिशिष्ट-1 से 4 अनुरूप रूपरेखा कर दियाया जा रहा है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव  
क्रमांक:एफ.56(क)०सीई/डीएलवी/IRGY(U)/2022-23/ 89879-884 दिनांक: 12/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समर्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
4. आयुक्त/अधिकारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समर्त राजस्थान।
5. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियंता (IRGY)

**कनिष्ठ तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता के कार्य एवं उत्तरदायित्व**

क्र. सं.	उत्तरदायित्व
1	कार्य योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित कार्यों का तकनीकी पश्चात्यान (Technical Feasibility) कर सहायक अभियंता को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
2	नियम द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के गौचल तकनीयों के आधार पर वस्तावितक तकनीना तैयार कर सहायक अभियंता/अधिशासी/अभियंता/अधीक्षण अभियंता (सक्षम तकनीकी अधिकारी) को तकनीकी खीकृति नियमानुसार जारी किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
3	कार्य की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय खीकृति का पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना।
4	कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व गौकर पर जाकर ले-आउट देना।
5	अकुशल/कुशल श्रमिकों को निर्धारित टारक से अवगत करवाना।
6	सप्ताह में न्यूनतम एक दिन प्रत्येक कार्य पर नियोजित श्रमिकों की उपरिषति को गरटररोल से गिलान करना।
7	I. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अंतर्गत निकायों द्वारा कराए जा रहे समर्त कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण व पखवाड़ा पूरा होने पर 3 से 5 दिन के अंदर कार्य की माप की जाकर गुणतान यिवरणिका तैयार कर सक्षम तकनीकी अधिकारी (राहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता) के गाव्यग से संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत करना। II. कार्यों की सामग्री क्य किये जाने हेतु जी-शिड्यूल तैयार कर सक्षम तकनीकी अधिकारी के माव्यम से संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना। III. कार्यों के निरीक्षण के दौरान सामग्री के क्य, उपयोग, बकाया रस्ते क व गुणवत्ता की जांच करना एवं एम.ए.एस. (मैट्रियल एट राईट) रजिस्टर का संधारण किया जाना।
8	माप पुरितका इन्द्राज किये जाने के उपरांत हस्ताक्षर के नीचे नाम व पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना।
9	माप पुरितका के मूल्यांकन उपरांत पखवाड़े में प्रयुक्त की गई सामग्री (यथा सीमेट, कंकीट, वजरी एवं अन्य) का विश्लेषण कर प्रयुक्त गत्रा का अंकन किया जाना।
10	माप पुरितका में इन्द्राज के उपरांत प्रगाण पत्र निम्नानुसार अंकित किया जावे:- I. कार्य की वास्तविक माप पखवाड़ा अवधि ..... से ..... तक की मेरे द्वारा वास्तविक रूप से मौके पर जाकर की गई है। II. माप पुरितका में कार्य के मूल्यांकन हेतु आरयूआईडीपी एसओआर-2017 एवं श्रम विभाग के द्वारा अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों की तरीं का प्रयोग किया गया है। III. कार्य के मूल्यांकन की राशि अकारों में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए कार्य के टास्क के अनुरूप श्रमिकों की प्रतिदिन देय राशि एवं सामग्री की राशि का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया जावे। IV. कार्य की माप तिथि एवं प्रयुक्त मस्टररोल्स, सामग्री से संबंधित विल एवं वाऊर्चर्स का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। V. माप पुरितका में नियोजित मेट का नाम अंकित किया जावे।
11	माप पुरितका गरे जाने के उपरांत सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता (सक्षम तकनीकी अधिकारी) के द्वारा विभागीय वेक नोर्म के अनुरूप कार्य का निरीक्षण किया जाकर माप पुरितका एवं विल, वाऊर्चर्स रायंधित निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/लेखाधिकारी को भुगतान के क्रम में परीक्षण उपरांत गिजवाया जाना।
12	सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता (सक्षम तकनीकी अधिकारी) के द्वारा जारी तकनीकी खीकृति के अनुरूप उपयोगिता एवं पूर्णता प्रगाण पत्र पत्रावली में संधारित किया जाना।
13	अन्य कार्य सामय-सामय पर साज्य रारकार/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के द्वारा आवंटित किये जाने के अनुरूप किया जाना।

11/07/2023

## शहरी रोजगार सहायक के कार्य एवं उत्तरदायित्व

क्र. सं.	उत्तरदायित्व
1	रामरता पंजीकृता परिवारों को ऑनलाईन जॉबकार्ड जारी करवाने में राहयोग करना।
2	रोजगार हेतु श्रमिकों की गांग प्रपत्र-1 में रांकलिता कर ऑनलाईन गरटररोल जारी करवाना एवं श्रमिकों का कार्य पर नियोजन रांबंधी सूचना दिया जाना।
3	कार्यवार पत्रावली संधारित किया जाना जिसमें कार्य की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा श्रग गद में प्रयुक्त गस्टररोल्स एवं सागमी के विल व वाउचर को संलग्न कर कगांक उंकित करना।
4	कार्यरथल पर गजदूरों हेतु छाया, पानी आदि की व्यवरथा सुनिश्चित करना।
5	कार्यरथल पर कार्य प्रदर्शन घोर्ड पर अकुशल श्रमिकों से प्रतिदिन लिया जाने वाला टारक, रवीकृत कार्य का विवरण लागत (श्रग व रागमी), कार्य प्रारंभ होने की तिथि एवं कार्य पूर्ण होने की संगावित तिथि एवं योजना का प्रतीक चिन्ह (Logo) लगाया जाना सुनिश्चित करना।
6	कार्यरथल पर बारतविक श्रमिकों का ही नियोजन किया जाना एवं यह सुनिश्चित किया जाना कि उनके एवज में अन्य कोई श्रमिक कार्य न करें।
7	कार्यरथल पर निरीक्षण पंजिका की व्यवरथा सुनिश्चित करना।
8	यह प्रयास करना की पंजीकृत परिवारों में से कग से कम 75% परिवार कार्य पर जाये एवं कार्य पर आये हुए परिवारों में से कम से कम 80% 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करें।
9	अन्य कार्य सगय-रागय पर राज्य सरकार/आयुक्त/अधिशापी अधिकारी के द्वारा आवंटित किये जाने के अनुरूप किया जाना।

11/5/2022

### लेखा सहायक के कार्य एवं उत्तरदायित्व

क्र. सं.	उत्तरदायित्व
1	वार्षिक कार्य सोजना संबंधी कार्य, रागत प्रशारानिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना।
2	लेखों का संधारण किरामों कार्यवार पत्रावली संधारित कर कार्य से संबंधित मरटररोला, विल व वाचचर का संधारण किया जाना।
3	च्यु राशि वज प्रतिग्राह वैक से अंकगिलान करना।
4	कार्यवार श्रग व सामग्री गद के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप 75:25 निगरानी रखना एवं विशेष प्रकृति के कार्यों में 25:75 सामग्री व गद अनुपात के कार्य लिये।
5	वित्त एवं लेखों से संबंधित महालेखाकार, रीए एवं अन्य एजरसी द्वारा की जाने वाली ऑडिट का कार्य करवाना एवं इनकी अनुपालना प्रेषित करवाना।
6	जारी गरटररोल के ट्रैकिंग रिस्ट्रम के रजिस्टर का संधारण करना।
7	कार्य के प्रत्येक भुगतान के रागय गाप पुरिताका में गणना कर वीएसआर में प्रयुक्त दरों का गिलान कर प्रगाण पत्र अंकित करना।
8	सहायक अधियंता/अधिशाषी अगियंता/अधीक्षण अगियंता (राक्षम तकनीकी अधिकारी) के द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप उपयोगिता एवं पूर्णता प्रगाण पत्र पत्रावली में संधारित किया जाना।
9	वित्त एवं लेखों से संबंधित राज्य रतर पर सभी वांछित सूचना प्रेषित करना।
10	श्रग भुगतान की मजौदूरी सूची पारित करना एवं श्रम भुगतान होने पर उनका गिलान किया जाना।
11	अन्य कार्य सगय-सगय पर राज्य सरकार/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के द्वारा आवंटित किये जाने के अनुरूप किया जाना।

मेरि

### एमआईएस मैनेजर के कार्य एवं उत्तरदायित्व

क्र. सं.	उत्तरदायित्व
1	हाउथेयर एवं रॉफ्टवेयर/पोर्टल पर आ रही कठिनाईयों का निराकरण किया जाना।
2	डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्षमतावर्धन का कार्य।
3	योजनान्तर्गत पर्यावरण की प्रगति रिपोर्ट (Fortnightly Progress Report) संकलित कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।
4	ग्रस्टररोल, कार्यों संबंधी डेटा व एगआईएस के अन्य गोड्यूल का मापदण्ड अनुसार इन्प्राइज करवाया जाना।
5	गूगल ड्राइव में सामय-समय पर चाही गयी रूचना गिजवाया जाना।
6	ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी का सामाधान एवं डेटाओं की ऑनलाइन एंट्री करवाना।
7	वीडियो कॉन्फ्रेस/वैटकों हेतु पीपीटी तैयार किया जाना।
8	अन्य कार्य सामय-सामय पर राज्य सरकार/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के द्वारा आवंटित किये जाने के अनुरूप किया जाना।